सं. 81] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2003/ज्येष्ठ 8, 1925
No. 81] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2003/JYAISTHA 8, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 23 मई, 2003

सं. टी ए एम पी/30/2003-एन एम पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण विलंबित भुगतानों/प्रतिदायों पर प्रभार्य दंड ब्याज की दर में संशोधन के लिए न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन करता है।

मामला सं. टीएएमपी/30/2003-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास --------------- आवेदक

आदेश

(मई, 2003 के 6वें दिन पारित)

यह मामला विलंबित भुगतानों/प्रतिदायों पर प्रभार्य दंड ब्याज की दर में कमी करने के बारे में न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एनएमपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं :-

(i) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने 5 नवंबर, 2001 को पारित आदेश के माध्यम से पत्तन न्यासों को भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से न्यूनतम 2% और अधिकतम 18% अधिक के बीच की सीमा में दर का चयन करने का विकल्प दिया है। पत्तन न्यासों को अपना विकल्प तत्काल प्रयोग करना चाहिए और निर्धारित सीमा के भीतर दर का चयन करना चाहिए। इसके पश्चात कोई भी बदलाव केवल इस प्राधिकरण के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(ii) एनएमपीटी ने दंड ब्याज की वर्तमान 18% दर को जारी रखने का विकल्प अपनाया।

(iii) दंड ब्याज दर की समीक्षा करने पर, एनएमपीटी ने विचार किया है कि इस दर को भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से ऊपर 2% की सीमा तक कम करना सही और उपयुक्त होगा।

3.1 यह उल्लेखनीय है कि महापत्तन न्यासों पर प्रभार्य दंड ब्याज की दरों की सीमा निर्धारित करते हुए इस प्राधिकरण ने 2 नवंबर, 2001 को एक आदेश पारित किया था।

3.2 एनएमपीटी ने इस प्राधिकरण के 5 नवंबर, 2001 को पारित आदेश के अनुपालन में 18% दंड ब्याज दर को जारी रखने का विकल्प अपनाया था। अब, इसने दंड ब्याज दर को संशोधित कर भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से ऊपर 2% के स्तर पर करने का प्रस्ताव किया है। एनएमपीटी का यह प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा पहले दिए गए उस निर्णय के अनुसार है कि दंड ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से ऊपर न्यूनतम 2% और अधिकतम 18% के बीच होगी।

4. परिणामस्वरूप, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एनएमपीटी के दरमान में प्रभार्य दंड ब्याज की दर से संबंधित निम्नलिखित निर्धारण को अनुमोदन प्रदान करता है :-

"(i) इस दरमान के अधीन किसी भी प्रभार के विलंबित भुगतान पर उपयोक्ता को समय-समय पर लागू भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से 2% अधिक की वार्षिक दर से ब्याज अदा करना होगा।

(ii) पत्तन न्यास को विलंबित प्रतिदायों पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की समय-समय पर लागू प्रारंभिक ब्याज दर (पीएलआर) से 2% अधिक की वार्षिक दर से दंड ब्याज अदा करना होगा।"

5. एनएमपीटी को अपने दरमान में तदनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है।

6. दंड ब्याज की संशोधित दर इस आदेश के भारत का राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रभावी होगी।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03 (असा.)]